UPRN010036032026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।

पीठासीन अधिकारी– (रविन्द्र सिह), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP02003**

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–330/2026

संजू उर्फ संजय बनाम उ०प्र० सरकार आदि।

04.08.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान डी०जी०सी०(क्रि०) उपस्थित आये।

आवेदक संजू उर्फ संजय के द्वारा 3 ख अन्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 448 बी०एन० एस०एस० के तहत प्रस्तुत कर सत्र परीक्षण सं०–429/2015, राज्य बनाम संजू उर्फ संजय, अ०सं०–285/2015, धारा–307,302,420,467,468,471,417 भा०दं०सं० एवं धारा–25 आयुध अधिनियम की पत्रावली न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–01 से वापस मंगाकर किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत की गयी है। शपथपत्र में कथन किया गया कि वह पीलिया की बीमारी से ग्रसित होने के कारण न्यायालय नहीं आ सका था, न्यायालय में आठ–आठ दिन की तारीख नियत कर एन०बी०डब्लू० व जमींदारों को नोटिस तथा धारा–83 दं०प्र०सं० की कार्यवाही की गयी है। दिनांक–09.02.2026 थाना मंगलपुर की पुलिस ने उसको पकड़कर जेल भेज दिया, जिसमें उसने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से अपनी जमानत करवा ली, इसके बावजूद न्यायालय में डी०डब्लू० गवाही हेतु पेश नहीं करने दे रहे है, जबकि अभियुक्त गवाही पेश करने के लिये स्वतंत्र होता है। वह लगभग चार माह से जेल में बंद है, इसके बावजूद भी उसको गवाह पेश नहीं करने दिया जा रहा है। उसे उक्त न्यायालय न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। उक्त मामले में हर दूसरे दिन की तारीख नियत की जा रही है तथा अभियोजन साक्ष्य पूर्ण हो चुका है तथा अभियोजन पक्ष एलानिया दे रहा है कि दस दिन के अन्दर सजा करवा दूँगा, इससे उसको न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं है।

विपक्षी राज्य की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र पर मौखिक रूप से आपत्ति की गयी, साथ ही यह भी कथन किया गया कि पत्रावली किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान अपर जिला एवं सत्र, कोर्ट संख्या–1 कानपुर–देहात की आख्यानुसार सत्र परीक्षण सं०–429/2015, राज्य बनाम संजू उर्फ संजय की पत्रावली उक्त न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त पत्रावली एक्शन प्लान में चिन्हित है। पत्रावली में अभियुक्त का बयान धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित होने के बाद अभियुक्त की ओर से अपने सफाई में डी०डब्लू०–01 को परीक्षित कराया गया है। दिनांक–01.09.2025 को अभियुक्त रवि हाजिर आया, अन्य अभियुक्त उपस्थित नहीं आये और उनकी हाजिरी माफी दी गयी, जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर अभियुक्त के विरूद्ध एन०बी०डब्लू० निर्गत किया गया। दिनांक–09.02.2025 को अभियुक्त को थाने की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर पेश किया गया, जिसे जिला कारागार में प्रेषित किया गया। पत्रावली बचाव साक्ष्य में चल रही है तथा पत्रावली में अभियोजन का बचाव साक्ष्य समाप्त करने हेतु दिया गया आवेदन भी लम्बित है। उक्त पत्रावली का अभियुक्त की तरफ से विलम्बित किये जाने का येनकेन प्रकारण अनावश्यक रूप से प्रयास किया जा रहा है। उसके द्वारा आवेदन झूठे कथनों के आधार पर दिया गया

Digitally signed by RAVINDRA SINGH
Date: 2026.08.04 16:58:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है। अन्त में यह भी कथन किया गया कि उक्त पत्रावली किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक की ओर से संबंधित सत्र परीक्षण की पत्रावली को संबंधित न्यायालय से वापस लेकर किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के बाबत जो आधार अपने आवेदन में दर्शित किया गया है और उस पर संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा जो आख्या प्रस्तुत की गयी है, उसके परिशीलन से प्रथम दृष्टया यह निष्कर्षित नहीं होता है कि न्यायालय द्वारा उसे बचाव साक्ष्य का अवसर न दिया जा रहा हो। बल्कि संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की आख्यानुसार अभियुक्त पक्ष को कई तिथियाँ बचाव साक्ष्य हेतु दी जा चुकी है तथा अभियुक्त पक्ष ने एक बचाव साक्षी परीक्षित भी कराया है। पत्रावली बचाव साक्ष्य/बहस में नियत चल रही है। पत्रावली को एक्शन प्लान में चिन्हित होना बताया गया है। हालांकि पीठासीन अधिकारी की आख्यानुसार उक्त सत्र परीक्षण की पत्रावली किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। विपक्षी द्वारा भी कथन किया गया कि पत्रावली अन्तरित किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अन्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अन्तरण प्रार्थना पत्र 3 ख स्वीकार किया जाता है।

सत्र परीक्षण सं०–429/2015, राज्य बनाम संजू उर्फ संजय, अ०सं०–285/2015, धारा–307,302,420,467,468,471,417 भा०दं०सं० एवं धारा–25 आयुध अधिनियम की पत्रावली न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01 कानपुर–देहात से वापस ली जाती है।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को भेजी जाए।

तदनुसार प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

(रविन्द्र सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
J.O. Code–UP02003